न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2016 निगरानी

गोपाल कंवर पत्नी गजराज सिंह निवासी मानसिंह जी का झोपडा / खेडा तहसील कोटडी

–प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत रीठ जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी वगैरह
2. श्रीमती भंवर कंवर पिता सोदान सिंह राजपूत निवासी मानसिंह जी का झोंपडा तहसील कोटडी

–विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पटटा सं. 25 पत्रावली सं. 16 संवत् 2063 ग्राम पंचायत रीठ दिनांक 09.03.2007

उपस्थित –

1. कोशल जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. संदीप जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 04.06.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकार के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी द्वारा गैर निगराकार सं. 02 भंवर कंवर पिता सौदान सिंह राजपूत निवासी मानसिंह जी का खेडा तहसील कोटडी के पक्ष में 50 फीट गुणा 25 फीट कुल 1250 वर्गफीट का वापी पटटा जारी किया गया। गैर निगराकार ने उक्त पटटा जारी करने हेतु पत्रावली सं. 16/2063 दिनांक 01.12.2006 से पत्रावली कायम की गयी। गैर निगराकार के द्वारा आबादी शुल्क की राशि जमा की गयी और व्यावसायिक प्रयोजनार्थ का पटटा जारी किया गया। पटटा वर्ष 2007 में जारी किया गया किन्तु वहां कोई कब्जा भंवर कंवर का नही था। जमीन पडत पडी हुयी थी। किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित नही की गयी एवं न ही सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी। पटटा जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया। निगराकार के कब्जेशुदा जमीन पर ही गैर निगराकार ने उक्त पटटा जारी कर दिया है। उक्त कारण से यह पटटा खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा सं. 25 ग्राम पंचायत रीठ दिनांक 09.03.2007 को अवैध व शून्य होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत [illegible] से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार 02 की ओर से प्राथमिक आपत्तियां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर दिनांक 25.03. 2019 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में

4. यह है कि गैर निगराकार के द्वारा आबादी शुल्क की राशि जमा की गई है और व्यावसायिक प्रयोजनार्थ का पट्टा जारी कर दिया गया है ।

5. यह है कि पट्टा सन 2007 में जारी किया गया है किन्तु ...

निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 11 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी द्वारा गैर निगराकार सं. 02 भंवर कंवर पिता सौदान सिंह राजपूत निवासी मानसिंह जी का खेडा तहसील कोटडी के पक्ष में 50 फीट गुणा 25 फीट कुल 1250 वर्गफीट का वापी पटटा जारी किया गया। गैर निगराकार ने उक्त पटटा जारी करने हेतु पत्रावली सं. 16/2063 दिनांक 01.12.2006 से पत्रावली कायम की गयी। गैर निगराकार के द्वारा आबादी शुल्क की राशि जमा की गयी और व्यावसायिक प्रयोजनार्थ का पटटा जारी किया गया। पटटा वर्ष 2007 में जारी किया गया किन्तु वहां कोई कब्जा भंवर कंवर का नही था। जमीन पडत पडी हुयी थी। किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित नही की गयी एवं न ही सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी। पटटा जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया। निगराकार के कब्जेशुदा जमीन पर ही गैर निगराकार ने उक्त पटटा जारी कर दिया है। उक्त कारण से यह पटटा खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा सं. 25 ग्राम पंचायत रीठ दिनांक 09.03.2007 को अवैध व शून्य होने से खारिज फरमाया जावे।

गैर निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि पटटा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता नही हुयी है। नियमानुसार अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मौका देखा गया। मौके पर गैर निगरकार सं. 02 का कब्जा होना पाया गया। गैर निगरकार सं. 02 ने प्रचलित दर से राशि जमा करा पटटे का विधिवत पंजीयन भी करवा लिया है। मिसल सं. 16/संवत् 2063 के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 सपठित नियम 166 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अंतर्गत अपील की रमेडी उपलब्ध थी, वह रेमेडी निगराकार ने अवेल नही की। इस संबंध में अब्दुल लतीफ बनाम राज्य 2008(2) डी.एन.जे. पेज 735 के फैसले में उक्त सिद्धान्त को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पारित किया है। यही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत जेतसर बनाम एडीशनल कलक्टर श्री गंगानगर 1972 आर.एल.डब्ल्यू पेज 516 व ग्राम पंचायत बरवा बनाम एडीशनल कलक्टर पाली 1975 आर एल डब्ल्यू पेज 134 वाले निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि जहां विशिष्टतया अपील के प्रावधान है उन मामलों में निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है। निगराकार ने यह नही बताया कि वह इस निगरानी की विषयवस्तु में किस प्रकार का अपना वैध हित रखता है ? वादग्रस्त भूखण्ड पर निगराकार के क्या लीगल राईट है? वह अपने किस वैध अधिकार से वंचित हो जायेगा? निगराकार को यह निगरानी प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डी नहीं है। रजिस्टर्ड सेल डीड/ पटटे को निरस्त करने का एकमात्र अधिकार सक्षम न्यायालय को है। गोपाल कंवर मूलतः मानसिंहजी का खेडा की निवासी नही है, जहां कि वादग्रस्त भूखण्ड स्थित है बल्कि तिन्दूडी उर्फ सालमपुरा, ग्राम पंचायत दोलपुरा तहसील माण्डलगढ की रहने वाली है जहां कि उसका ससुराल है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी पोषणीय नही होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत रीठ ने ग्राम मानसिंह का खेडा की आबादी भूमि में गैर निगराकार सं. 02 के आवेदन पत्र पर मिसल सं. 16 कायम कर तीन पंचों की समिति कायम कर मौका निरीक्षण करवाया गया। मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 26.12.2006 में तीन पंचों ने प्रार्थीया भंवरकंवर निवासी मानसिंह जी का खेडा का नक्शे में बताये अनुसार भूखण्ड पर वर्षों से कब्जा होने से डी.एल.सी. दर से राशि वसूल कर पटटा जारी करने की अनुशंषा की है। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा गैर

निगराकार सं. 02 को 1250 वर्गफीट का वाणिज्यिक दर 7 रूपये प्रति फीट की दर से 8750/—रूपये वसूल कर पटटा जारी करने का अनुमोदन कर भंवरकंवर पिता सोदान सिंह के नाम से पटटा दिनांक 09.03.2007 को जारी किया गया जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रक्रियों का उल्लघंन प्रमाणित नहीं होता है। निगराकार ग्राम पंचायत रीठ पत्रावली सं. 16/संवत् 2063 दिनांक 09.03.2007 में जारी पटटे के संबंध में व्यथित या हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं। पटटा जारी करने की विधिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने संबंधी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही गये है। निगराकार द्वारा पटटेशुदा भूमि पर गैर निगराकार सं. 02 का कब्जा नही होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत रीठ पत्रावली सं. 16/संवत् 2063 दिनांक 09.03.2007 में जारी पटटा सं. 25 के संबंध में निगराकार व्यथित या हितबद्ध व्यक्ति नही होने से एवं पटटा जारी करने की विधिक प्रकिया पूर्ण नहीं करने संबंधी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही गये है जिससे निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

4. यह है कि गैर निगराकार के द्वारा आबादी शुल्क की राशि जमा की गई है और